भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 16

उत्तर देने की तारीख: 02.02.2022

शिक्षा प्रौद्योगिकी (एड-टेक) क्षेत्र का विनियमन

16 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री नीरज डांगी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से अब तक देश में पंजीकृत शिक्षा प्रौद्योगिकी कम्पनियों से कितना राजस्व सृजित हुआ है;

(ख) क्या सरकार देश में शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विनियमन के लिए एक विशेषीकृत नीतिगत ढांचा लाने की मंशा रखती है;

(ग) यदि हां, तो इस नीति को जारी करने के लिए अनुमानित समय-सीमा समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार एक विस्तृत नीति सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों के साथ कार्य कर रही है जो आक्रमिक मार्केटिंग, डेटा सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण आदि मुद्दों का समाधान करती हो; और

(ड.) यदि हां, तो परामर्श लिए जा रहे मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ङ): एड-टेक कंपनियों की शोषणकारी प्रथाओं से बचाव के लिए, सरकार ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें हितधारकों के लिए क्या करें और क्या न करें, शामिल हैं। इसने उन नागरिकों को, जो एड-टेक सेवाओं के उपभोक्ता हैं, को सूचना प्रदान करने हेतु ई-कॉमर्स फर्मों के लिए कानूनी प्रावधानों को दोहराया है। विवरण https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1784582 पर देखे जा सकते हैं।

यूजीसी ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) द्वारा पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए विनियमों को अधिसूचित किया है। इन विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता की शर्तें, ऑनलाइन कार्यक्रमों को प्रदान करने हेतु मान्यता प्रक्रिया, उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ढांचागत, शैक्षणिक और अन्य गुणवत्ता मानकों का रखरखाव शामिल है। यह निजी क्षेत्र के साथ फ्रेंचाईज़ी व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है और ऑनलाइन कार्यक्रमों को प्रदान करने का स्वामित्व केवल उच्चतर शिक्षण संस्थानों का होगा।

यूजीसी और एआईसीटीई ने भी सार्वजनिक नोटिस जारी करके छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यक्रम की मान्यता/पात्रता की स्थिति की जांच करने की सलाह दी है।

*****